

उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(जिला योजना)

आदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला योजना अनाबद्ध निधि अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार को "प्रखंड मनिका में खाडजामुन नाला पर पक्का चेकडैम निर्माण" योजना की कार्यकारी एजेंसी नामित करते हुए विभिन्न दो किस्तों में मो० 33,89,538.00 रु० विमुक्त किया गया है, जिसके विरुद्ध एजेंसी द्वारा मो० 33,87,723.00 रु० का कार्य मूल्यांकन (मापीपुस्त) किया गया है।

कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार के पत्रांक 213, दिनांक 22.05.2018 द्वारा समर्पित राशि विमुक्ति हेतु अधियाचना पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ एवं मापीपुस्त की छायाप्रति के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 135./यो०, दिनांक 17.03.2018 द्वारा विमुक्त द्वितीय किस्त की राशि में से योजना मापीपुस्त के अनुसार राशि व्यय करने के पश्चात् कुल मो० 1,815.00 रु० वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है।


4/06/18

उपायुक्त, लातेहार।


ज्ञापांक :- य-दो-39/2017-18 260 /जि०यो०, दिनांक :- 5.6.18

प्रतिलिपि:-

कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


4/06/18
उपायुक्त, लातेहार।